

ACMS
2018/00183

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

विविध प्रार्थना पत्र संख्या 4M /2018

मल्लासिंह बनाम ओमप्रकाश आदि

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
25.05.18	<p>प्रार्थीया विपलेश रानी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर बाद जांच पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 99/2017 मल्लासिंह बनाम ओमप्रकाश निर्णय दिनांक 26.02.2018 पर पुनः गौर कर निरस्त करने बाबत पेश किया। प्रा.पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1 के तहत पेश किया है जिसकी Bare reading है कि Application for review of judgment:- (1) Any person considering himself aggrieved,-</p> <p>(a) By a decree or order from which an appeal is allowed, but from which no appeal has been preferred,</p> <p>(b) by a decree or order from which no appeal is allowed, or</p> <p>(c) by a decision on a reference from a Court of Small Causes, and who, from the discovery of new and important matter or evidence which, after the exercise of due diligence, was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the decree was passed or order made, or on account of some mistake or error apparent on the face of the record, or for any other sufficient reason, desires to obtain a review of the decree passed or order made against him, may apply for a review of judgment to the Court which passed the decree or made the order.</p> <p>(2) A party who is not appealing from a decree or order may apply for a review of judgment notwithstanding the pendency of an appeal by some other party except where the ground of such appeal is common to the applicant and the appellant, or when, being respondent, he can present to the Appellate Court the case on which he applies for the review.</p>	

25/5/18

उपरोक्त विधि के प्रावधानों के मुताबिक प्रार्थीया। मौजूदा मामला में प्रभावित पक्षकार होना प्रमाणित नहीं है। क्योंकि प्रार्थीया ने वादग्रस्त भूमि क़य की है एवं क़ेता के रूप में न तो अधी. न्यायालय में और न ही अपील पक्षकार थी। तदानुसार प्रार्थीया अपना अनुतोष विधिक प्रक्रिया यथा घोषणात्मक दावा सक्षम न्यायालय में पेश कर प्राप्त कर सकती है। तदानुसार प्रार्थीया का प्रा.पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रा. नम्बर कम से कम होकर शामिल अपील रहे।

25/5/18